न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/528

मनभर बाई पत्नी गणेश लाल जाति तेली निवासी ग्राम भूमाखेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज श्री पोखर जाति गुर्जर निवासी भूमाखेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. लाल आत्मज श्री पोखर जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमाखेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बनवारी लाल गौतम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भूमाखेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1101/473 रकबा 06 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी के स्वामित्व एवं कब्जे की है जिस पर वादिनी शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी पर एवं अन्य कृषि भूमियों में सिंचाई की सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा खेतों के बीच बनी हुई मेडों पर पानी का धौरा बनाया हुआ है जिससे सभी काश्तकार अपने–अपने खेतों में सिंचाई हेतु पानी का उपयोग करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादी कम 1 व 2 जिनके खेत खसरा नम्बर 473 के पूर्व में स्थित अपनी –अपनी भूमियों पर सिंचाई हेतु खसरा नम्बर 473 के बीच में नया धौरा बनाकर अपने खेत में सिचांई करने पर आमादा है । प्रतिवादीगण ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से मिलकर दिनांक 30.11.2016 को वादिनी के खेत पर उगी हुई गेहू की फसल के बीच धौरे में दो डोलियॉ बना दी जिसके सम्बन्ध में वादिनी एवं अन्य गॉव के अन्य किसानों ने माननीय जिला कलक्टर बून्दी एवं पुलिस अधीक्षक बून्दी को भी प्रार्थना पत्र पेश किये हैं किन्तु अभी

तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है । प्रतिवादीगण वादिनी की स्वामित्व की आराजी के बीचों बीच धौरा बनाकर पानी लेने पर आमादा हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भू–भाग पर किसी भी प्रकार से धौरा बनाकर पानी का प्रवाह नहीं करे तथा न ही वादिनी की आराजी को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाये ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2018 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के जवाब का हवाला अपने निर्णय में दिया है किन्तु पत्रावली की आदेशिका में कहीं पर भी प्रतिवाद पत्र पेश करने का इन्द्राज नहीं है अपितु पत्रावली दिनांक 20.06.2018 को भी प्रतिवाद पत्र पेश करने हेतु नियत की गई थी । सीपीसी की पालना नहीं की है । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी की ओर से एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । वादग्रस्त आराजी की वादिनी खातेदार है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट वादिनी के खाते की आराजी में सिंचाई हेतु नया धौरा बनाने पर आमादा हैं उसका उनको कोई अधिकार नहीं है । इस कारण उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय में दावा जवाब में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया। लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं सिर्फ प्रतिवादी की उपस्थिति दर्ज करते हुए सीपीसी की पालना किये बिना दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वादिनी अपीलान्ट के द्वारा सिंचाई विभाग के द्वारा जो सरकारी धौरा बनाया गया है उसको जबरदस्ती बिगाड दिया है । इस कारण धौरे से पानी पिलाने वाले कृषक अपनी फसलों को पानी देने से वंचित हो गये हैं । धौरे के टेल क्षेत्र के 20–25 काश्तकारों ने श्रीमान् क्षेत्रीय आयुक्त महोदय

को आवेदन पेश किया और पुलिस जाप्ते की मदद से धौरे को बहाल करवाया है जिसे पुनः बिगाड दिया । पुनः इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि धौरे को बहाल किया जावे जिस पर अधिशाषी अभियन्ता बाई मुख्य नहर द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के मौखिक निर्देश दिये गये हैं । अतः धौरे को बहाल किया जावे । अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं सिर्फ प्रतिवादी कम 1 भैरूलाल की उपस्थिति दर्ज की गई है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा खारिज किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रृटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट से जवाब प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए, गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा